<u>राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर</u>

<u>अपील डिक्री/टी.ए./2001/7404/चित्तौड़गढ़</u>

1- श्री हरकलाल (मृतक) पिता मोडीलाल महाजन निवासी सिन्दू, तहसील मावली, जिला उदयपुर के कायम मुकाम :-

1/1- लक्ष्मीलाल पिता हरकलाल, महाजन (लोढा), निवासी सिन्दू, तहसील मावली, जिला उदयपुर।

1/2- किरण कुमार उर्फ कर्ण कुमार पिता हरकलाल, महाजन (लोढा), निवासी सिन्दू, तहसील मावली, जिला उदयपुर।

1/3- धर्मेन्द्र कुमार उर्फ दिनेश कुमार पिता हरकलाल, महाजन (लोढा), निवासी सिन्दू, तहसील मावली, जिला उदयपुर।

1/4- मनीष कुमार उर्फ मनोज पुत्र जीवनलाल पौत्र हरकलाल, महाजन (लोढा), निवासी सिन्दू, तहसील मावली, जिला उदयपुर।

........अपीलान्ट्स

बनाम

1- श्री मोहम्मद हुसैन पिता रहीम बक्ष मुसलमान, उम्र वयस्क, निवासी कपासन, जिला चित्तौड़गढ़।

2- श्रीमती हुसैनी (मृतक) पत्नी मोहम्मद हुसैन मुसलमान, निवासी कपासन जिला चित्तौड़गढ़ के कायम मुकाम :-

2/1- आमना बाई पुत्री हुसैनी मुसलमान (पिनारा) उम्र वयस्क, निवासी कपासन, तहसील कपासन, जिला चित्तौड़।

3- श्री फकीर मोहम्मद पिता रहीम बक्ष मुसलमान, उम्र वयस्क, निवासी सिन्दू हाल उदयपुर मठ भादड़ी, जिला उदयपुर।

4- श्रीमती जमीला पत्नी फकीर मोहम्मद मुसलमान, उम्र वयस्क, निवासी मनासा (म.प्र.)

.....रेस्पोन्डेन्ट्स

<u>खण्ड–पीठ</u>

डॉ. शिव प्रसाद सिंह, सदस्य

श्री मदन लाल नेहरा, सदस्य

<u>उपस्थित :-</u>

श्री सम्पतलाल बोहरा, अभिभाषक अपीलान्ट्स

दिनांक : 04-6-2026

निर्णय

1- यह अपील अन्तर्गत धारा-224 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, उदयपुर के निर्णय व डिक्री दिनांक 17-9-2001 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2- प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार हैं कि मौजा सिन्दू तहसील मावली में आराजी नम्बर-2292 रकबा 5 बिस्वा भूमि स्थित है जो अपीलान्ट्स के पिता हरकलाल द्वारा रहीम बक्ष से जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र क्रय कर कब्जा प्राप्त किया था। राजस्व रिकार्ड में भूमि अपीलान्ट के नाम खातेदारी हक से दर्ज होकर अपीलान्ट का कब्जा सुचारू रूप से चला आ रहा है। रेस्पोन्डेन्ट्स द्वारा जानबूझकर गलत विवाद उत्पन्न करने पर हरकलाल वादी ने एक वाद उपखण्ड अधिकारी, वल्लभनगर के सम्मुख अन्तर्गत धारा-88 व 188 पेश किया तथा जिसमें साक्ष्य पश्चात दावा दिनांक 17-3-1994 को डिक्री किया गया। इस निर्णय के विरूद्ध रेस्पोन्डेन्ट संख्या-1 ने न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी के यहां अपील पेश की जिसे अपीलीय न्यायालय ने निर्णय दिनांक 17-9-2001 द्वारा स्वीकार कर उपखण्ड अधिकारी के निर्णय व डिक्री को निरस्त कर प्रकरण प्रतिप्रेषित किया गया, जिसके विरूद्ध अपीलार्थीगण द्वारा मण्डल न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गयी है।

3- प्रत्यर्थीगण न्यायालय में अनुपस्थित रहे। विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट्स की एकतरफा बहस सुनी गयी।

4- विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट्स ने लिखित बहस प्रस्तुत कर बहस में कथन किया कि न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, उदयपुर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 17-9-2001 न्याय व विधि के विपरीत है क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय को कथित मामला रिमाण्ड करने का कोई अधिकार नहीं था। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय में प्रत्यर्थी प्रतिवादी रहीम बक्ष के वारिसान की तामील बाबत अपील मीमों में कोई आपत्ति नहीं उठाई गई थी तथा प्रस्तुत अपील उसके वारिसान द्वारा न कर प्रतिवादी संख्या-2 मोहम्मद हुसैन ने प्रस्तुत की थी, फिर भी अधीनस्थ

न्यायालय ने अपील को गुणावगुण पर निस्तारित न कर मात्र रहीम बक्ष के वारिसान को प्रोपर तामील न होने के विनिश्चय पर ही प्रकरण को पुनः सुनवाई कर निर्णय हेतु प्रतिप्रेषित कर दिया। प्रत्यर्थीगण को विचारण न्यायालय में आदेश-9 नियम-13 सीपीसी का आवेदन प्रस्तुत करना चाहिये था, जो न किये जाने से उनकी अपील चलने योग्य नहीं थी। अधीनस्थ न्यायालय को अपील मेरिट पर तय करनी चाहिये थी। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष सारी बहस मेरिट पर हुई थी तथा यह पाया गया कि रेस्पोन्डेन्ट्स के पिता रहीम बक्ष ने जमींन रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा हरकलाल को विक्रय कर कब्जा सुपुर्द कर दिया था। कब्जे के संबंध में राजस्व अपील प्राधिकारी ने कमिश्नर कायम कर मौके की रिपोर्ट भी मंगवाई थी जिसमें मौके पर स्पष्ट रूप से कब्जा अपीलान्ट्स का पाया गया। मेरिट पर रेस्पोन्डेन्ट्स का बिल्कुल केस नहीं था तो भी उन्हें फायदा पहुंचाने के लिये केवल मात्र तकनीकी बिन्दु पर ही मामला रिमाण्ड कर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण की मेरिट पर गौर किये बिना मर्जीमकसूद तरीके से निर्णय पारित किया है जो गलत होकर काबिल निरस्तनीय है।

5- विद्वान अभिभाषक का यह भी कथन है कि अपील स्पष्ट रूप से मियाद बाहर थी तथा मियाद के बिन्दु पर न्यायालय के समक्ष काफी बहस हुई थी फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपील को मियाद के अन्दर मानते हुये जो निर्णय व डिक्री पारित की है, वह गलत होकर काबिल निरस्तनीय है। तामील का बिन्दु मेरिट की अपील में तय नहीं किया जा सकता है, न इसके आधार पर अपील में बहस ही हुई है, फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने तामील के आधार पर प्रकरण रिमाण्ड कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय ने सारा आदेश कयासी आधार पर दिया है जो स्पष्ट रूप से निरस्तनीय है। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, वल्लभनगर ने डिक्री व आदेश सही पारित किया है जिसमें अधीनस्थ न्यायालय को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिये था। अतः अपील अपीलान्ट्स स्वीकार की जाकर न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, उदयपुर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 17-9-2001 निरस्त किया जाकर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, वल्लभनगर द्वारा पारित डिक्री व आदेश को बहाल रखा जावे। उनके द्वारा अपने तर्कों के समर्थन में नजीर आरआरडी-1992 पेज-427, आरआरडी 1987 पेज-476, आरआरडी-1990 पेज-528 व आरआरडी 1990 का ही पेज-20 एवं आरआरडी-1993 पेज-405 पेश की गई।

6- हमने विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट्स की बहस पर मनन किया तथा सम्पूर्ण पत्रावली का गहनता से अध्ययन किया। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों का ससम्मान अवलोकन कर मार्गदर्शन प्राप्त किया गया।

7- अपीलार्थीगण के पिता हरकलाल द्वारा विचारण न्यायालय में रहीम बक्ष, मौहम्मद हुसैन पिता रहीम बक्ष आदि के विरूद्ध धारा-88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत विवादित भूमि खसरा नम्बर-2292 रकबा 5 बिस्वा हेतु प्रस्तुत दावे में मुख्य आधार यह जाहिर किया गया है कि रहीम बक्ष ने उक्त भूमि जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 6-1-1986 को हरकलाल को विक्रय कर दी थी जिसके उपरान्त कब्जा क्रेता पक्ष का ही चला आ रहा है। दावे में प्रतिवादी संख्या-1 से 3 ने जवाब दावा प्रस्तुत कर दावे को अस्वीकार किया है। इसके उपरान्त प्रतिवादीगण के अनुपस्थित रहने पर विचारण न्यायालय ने वादी पक्ष की साक्ष्य लेते हुये निर्णय दिनांक 17-3-1994 द्वारा दावा स्वीकार कर डिक्री किया है। इस निर्णय के विरूद्ध प्रतिवादी संख्या-2 मौहम्मद हुसैन द्वारा प्रथम अपीलीय न्यायालय में विभिन्न तथ्यगत एवं विधिक आधारों पर अपील प्रस्तुत की गई जिसे न्यायालय ने निर्णय दिनांक 17-9-2001 के द्वारा स्वीकार कर उभय पक्ष को सुनवाई का पूर्ण अवसर देते हुये पुनः निर्णय हेतु प्रकरण प्रतिप्रेषित किया गया है। प्रकरण में रहीम बक्ष के वारिसान द्वारा न तो आदेश-9 नियम-13 सीपीसी के तहत विचारण न्यायालय में कोई आवेदन किया गया है और न ही उनके द्वारा निर्णय के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई है, फिर भी प्रथम अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय में रहीम बक्ष के वारिसान की तामील प्रोपर न होने व उन्हें सुनवाई का अवसर न मिलना ही मुख्यतः अपील को स्वीकार कर प्रकरण प्रतिप्रेषित किये जाने का आधार माना है। अपील मीमों में भी रहीम बक्ष के वारिसान की तलबी अथवा उन्हें सुनवाई का मौका न मिलने बाबत तथ्य को अपील के आधारों में प्रस्तुत नहीं किया गया है। हमारा मानना है कि मौहम्मद हुसैन द्वारा अपनी अपील में विभिन्न तथ्यगत तथा विधिक आधारों पर विचारण न्यायालय के आदेश को चुनौती दी गई थी, इसलिये अपीलीय न्यायालय से अपेक्षित था कि वे उल्लेखित आपत्ति बिन्दुओं पर अपने विवेचन को निर्णय में शामिल करते हुये गुणावगुण पर अपील का निस्तारण करते। अतः हमारे सुविचारित मत

में प्रस्तुत अपील आंशिक रूप से स्वीकार योग्य होकर प्रकरण पुनः निर्णय हेतु मातहत अपीलीय न्यायालय को प्रतिप्रेषण योग्य है।

8- अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार निर्णय स्वरूप हस्तगत अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, उदयपुर का निर्णय व डिक्री दिनांक 17-9-2001 अपास्त किया जाकर प्रकरण मातहत अपीलीय न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि पैरा संख्या-7 के विवेचन के परिप्रेक्ष्य में दोनों पक्षों की सुनवाई करते हुये प्रस्तुत अपील को गुणावगुण पर विश्लेषण के साथ पुनः निर्णीत किया जावे।

पत्रावली फैसल शुमार रहे। अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख को निर्णय की प्रति के साथ लौटाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मदन लाल नेहरा)
सदस्य

(डॉ. शिव प्रसाद सिंह)
सदस्य